बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/कोर्ट–10–10/2007

डा0 सकलदीप चौधरी, सम्प्रति दिनांक 31.08.18 को सेवा निवृत्त, तत्कालीन जिला मलेरिया पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सिविल सर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर में विकलांगता वोर्ड के सदस्य थे, के द्वारा (श्रीमती) पुनम कुमारी को सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना भौतिक जॉच किए उनकी दाहिने पैर के स्थान पर बायां पैर में 40 प्रतिशत विकलांगता दिखलाते हुए विकलांगता प्रमाण पत्र देने के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या 28/2006 में गिरफ्तार होने के फलस्वरूप दिनांक 21.02.2007 से 16.01.2008 तक निलंबित रखा गया साथ ही इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–146(9) दिनांक 21.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचांलित की गई।

2. विभागीय कार्यवाही में प्राप्त अधिगम के आलोक में डा0 सकलदीप चौधरी को विभागीय अधिसूचना संख्या–248(9) दिनांक 07.2.2012 के द्वारा कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर 05 वर्षो के लिये अवनति तथा इस अवधि में आरोपित पदाधिकारी के वेतन वृद्धियां अर्जित नहीं करने तथा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त अवधि का प्रभाव भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित रखने अर्थात् दंड की उपर्युक्त अवधि के लिये भविष्य में भी वेतन वृद्धि नहीं मिलने की शास्ति (दंड) अधिरोपित की गई।

3. डा0 चौधरी द्वारा इस दंडादेश को माननीय न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 10161/2013 द्वारा चुनौती दी गई। सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10161/2013 में दिनांक 29.8.2018 को पारित आदेश में दिनांक 21.02.2007 को गठित आरोप–पत्र, सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही तथा दंडादेश को रदद् कर दिया गया।

4. माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में मामले को विभाग में समीक्षा की गई और पाया गया कि यदि विलांगता बोर्ड के सदस्य द्वारा यदि दाहिने पैर के स्थान पर बाऐं पैर में दिखलाया गया तो इसके आवेदक को कोई अतिरेक फायदा नहीं पहुँचाया गया। समीक्षोपरान्त संकल्प संख्या–146(9) दिनांक 21.2.2007 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 248(9) दिनांक 07.02.2012 को निरस्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है। तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–248(9) दिनांक 07.2.2012 द्वारा प्रदत्त शास्ति को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx

ज्ञापांक: 1182(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 1/11/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/मुंगेर/सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 सकलदीप चौधरी, तत्कालीन जिला मलेरिया पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1.11.18

सरकार के उप सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx